

राजस्थान--सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिनिधि अधिकारी - कृष्णपाल सिंह चौहान, आर ए एस

दस्तावेज संख्या - 31/19 प्रोपत्र

श्री शेकर जे० भगमसिंह द्रोगा निवासी- जोरावरपुरा तहसील-मांडल

-प्रार्थी

बनाम

किशन जे० मन्दा सुयार निवासी- जोरावरपुरा तहसील-मांडल [पौर] (सुवर्णश्री प्रोपत्र संलग्न)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 16.4.19

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जोरावरपुरा पटवार हलका जोरावरपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1299/154 कुल कितना 01 रकबा 0.2 बीघा 10 विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करायें जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13.2.19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे कायम की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का हेरा-फेरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 को स्वीकार किया जाकर ग्राम जोरावरपुरा पटवार हलका जोरावरपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1299/154 कुल कितना 01 रकबा 0.2 बीघा 10 विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बागोर को 300/- रूपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फंसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेग है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा